बिहार सरकार
समाहरणालय, लखीसराय
(जिला पंचायत शाखा)

Email : dpro-la-bih@nic.in
Fax : 06346-232767
Tel : 06346-232124

आज दिनांक 30.08.2019 को श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी,(भा0प्र0से0) जिला पदाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग अन्तर्गत संविदा आधारित लेखापाल– सह– आई0 टी0 सहायक के पद पर नियोजन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. **जिला पदाधिकारी, लखीसराय।**
2. **उप विकास आयुक्त, लखीसराय।**
3. **भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, लखीसराय**
4. **जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय।**
5. **वरीय कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय।**

1. सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को आदेश दिया गया गया कि बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करें एवं विभागीय संकल्प एवं प्रक्रिया को विस्तार से कमिटि के समक्ष रखें। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग अन्तर्गत संविदा आधारित लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के पद पर नियोजन हेतु प्राप्त विभागीय संकल्प एवं मार्गदर्शिका प्रस्तुत किया गया तथा निर्धारित रोस्टर के संबंध में बैठक में विस्तार से चर्चा की गयी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को जिला स्तर पर आयोजित Counselling में कुल 34 (चौंतीस) अभ्यर्थियों ने भाग लिया जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र (बी0कॉम एवं एम0कॉम) सत्यापन हेतु संबंधित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय को दिसम्बर 2018 में ही स्पीड पोस्ट से भेजा गया। जिसके विरूद्ध विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों से अब तक कुल 17 (सतरह) अभ्यर्थियों का (बी0कॉम एवं एम0कॉम) शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 2 (दो) अभ्यर्थियों का (बी0कॉम एवं एम0कॉम) प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, जिसके आधार पर कवैया थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु संसूचित कर दिया गया है।

2. विभागीय निदेश के आलोक में इस जिला का रोस्टर रिक्ति विवरणी:– कुल रिक्त पद– 20(बीस) जिसका कोटिवार विवरण निम्नवत है:–

Gen-07,Gen(f)-03,SC-02,SC(F)-1,EBC-02,EBC(F)-01,BC-02,BC(F)-1,ST-01

औपबंधिक मेद्या सूची के प्रकाशन उपरांत अभ्यर्थियों से दाबा आपत्ति प्राप्त कर, उक्त के निराकरण उपरांत लेखापाल–सह–आई0टी0 सहायक के पद पर मेधा सूची एवं आरक्षण रोस्टर विंदु के आधार पर सर्वसम्मति से समिति द्वारा निम्नवत् अभ्यर्थियों का चयन निम्नांकित शर्तो के अधीन करने का निर्णय लिया गया।

"1. वैसे अभ्यर्थी जिनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया है, उनका सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 30.09.2019 तक जिला पंचायत कार्यालय को प्राप्त होना आवश्यक है। सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. यदि सत्यापन प्रतिवेदन में किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसी समय उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा एवं उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी।"

Scanned by CamScanner

S.N.	Online S.N.	Total Points	Applicant Name	Father's Name	Gender	Category	State of Domicile	आरक्षण के विन्दु के अनुसार	Counselling के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार Total Points	प्रमाण पत्र सत्यान रिपोर्ट
1	4	102	JAY SHANKAR JAY	DASHARATH PRASAD	Male	BC	Bihar	अनारक्षित	102	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से अप्राप्त।
2	6	96	BHOLA KUMAR	LAKHAN YDAV	Male	EBC	Bihar	अनारक्षित	96	बी0कॉम एव एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से अप्राप्त।
3		93.12	MANOJ PRASAD	KAMESHWAR RAM	Male	EBC	Bihar	अनारक्षित	93.12	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से अप्राप्त।
4		92.25	SANTOSH KUMAR	ARJUN PD TAMBOLI	Male	EBC	Bihar	अनारक्षित	92.25	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से अप्राप्त।
5	12	92.12	KAJAL KUMARI	LATE RAJESH KUMAR	Female	GEN	Bihar	अनारक्षित	92.12	बी0कॉम का प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से अप्राप्त।
6	13	91.5	SIMA KUMARI	VIKRAM KUMAR	Female	GEN	Bihar	अनारक्षित	91.5	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया
7	14	91.12	KUNDAN KUMAR	BALRAM SINGH	Male	GEN	Bihar	अनारक्षित	91.12	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया
8	15	91	KANCHAN KUMARI	MOHAN PRASAD	Female	EBC	Bihar	अनारक्षित महिला	91	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया
9	20	89.12	KUMARI LISHA	BIJAY KUMAR SINGH	Female	GEN	Bihar	अनारक्षित महिला	89.12	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया
10	21	88.61	SANGEETA RANI	TANIK LAL MEHTA	Female	BC	Haryana	अनारक्षित महिला	88.61	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र सत्यापन शूल्क हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से वापास कर दिया गया है।
11	50	81.73	MUKESH KUMAR	UMESH VISHWAKARMA	Male	ST	Bihar	अ0ज0जा0	88.5	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र सत्यापन शूल्क हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से वापास कर दिया गया है।

Scanned by CamScanner

12	22	88.38	KUMAR MANJESH	MANI BHUSHAN PRASAD VERMA	Male	EBC	Bihar	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	88.38	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया।
13	28	87.25	BITTU KUMAR	DASHRATH RAM	Male	EBC	Bihar	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	87.25	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया।
14	32	86.5	KANCHAN BHARTI	NARENDRA PRASAD GUPTA	Female	EBC	Bihar	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला	86.5	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया।
15	35	86	RENU KUMARI	SHUBHASH PRASAD	Female	BC	Bihar	पिछड़ा वर्ग	86	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया।
16	45	83.5	KUMARI ARCHITA RANI	NAVIN KUMAR	Female	BC	Bihar	पिछड़ा वर्ग	83.5	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया।
17	51	81.5	HIMANSHU SHEKHAR NANDAN	BRAJNANDAN PASWAN	Male	SC	Bihar	अनु0 जाति	81.5	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया।
18	53	81.38	AKANKSHA KUMARI	AJAY KUMAR GUPTA	Female	BC	Bihar	पिछड़ा वर्ग महिला	81.38	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय से सत्यापनोंपरांत सही पाया गया।
19	71	74.87	GOUTAM KUMAR PASWAN	ARJUN PASWAN	Male	SC	Bihar	अनु0 जाति	80	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र सत्यापन शुल्क हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से वापस कर दिया गया है।
20		71.75	KABITA KUMARI	SHIV KUMAR CHAUDHARY	Female	SC	Bihar	अनु0 जाति महिला	71.75	बी0कॉम एवं एम0 कॉम का प्रामण पत्र सत्यापन शुल्क हेतु संबंधित विश्वविद्यालय से वापस कर दिया गया है।

चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 20.09.2019 तक योगदान करना आवश्यक होगा, निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

1. योगदान के समय निम्नांकित बिन्दुओं पर शपथ पत्र समर्पित करना होगा कि:–

(क) उनके विरूद्ध किसी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का दहेज न लिया/लेगें है और न ही दिया/देगें का शपथ पत्र

Scanned by CamScanner

(ग) नियोजन के क्रम में समर्पित सभी शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र मेरे जानकारी में सत्य व सही है, यदि भविष्य में कोई त्रूटि पाई जाती है तो जिला पदाधिकारी महोदय कोई भी कार्रवाई हेतु सक्षम होगें।

3. नियुक्त कर्मी द्वारा अनुबंध पत्र (मो0:– 1000/–(एक हजार) रूपये का नन जुडिसियल स्टाम्प) पर हस्ताक्षरित करने के उपरांत ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

4. चिकित्सा प्रमाण–पत्र (असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत) मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. 02(दो) अभिप्रमाणित फोटो एवं पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

6. नियोजित होने वाले अभ्यर्थियों को पंचायती राज विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

7. नियोजित कर्मियों के कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर समय से पहले भी उन्हें हटाया जा सकेगा।

8. सरकारी दिशा–निर्देश के आलोक में योगदान करने वाले कर्मियों के नियोजन शर्तों को संशोधित करने/रद्द करने एवं संविदा समाप्त करने का अधिकार जिला पदाधिकारी, लखीसराय/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय को सुरक्षित रहेगा।

9. योगदान के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. मानदेय के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितिकरण का दावा किसी भी परिस्थति में मान्य नहीं होगा।

11. संविदा के शर्त्तो के अनुसार नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ एकरारनामा किया जाएगा।

12. यह चयन दिनांक 31 मार्च, 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

13. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के नियोजन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थति में निर्धारति तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

14. नियोजित कर्मियों को योगदान की तिथि से 3 (तीन) माह के अंदर कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय।	वरीय कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय।	भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, लखीसराय।	उप विकास आयुक्त, लखीसराय।	जिला पदाधिकारी, लखीसराय।

ज्ञापांक – 653 पं0रा0 / दिनांक 06/09/2019

प्रतिलिपि :– सभी सदस्य जिला स्तरीय चयन समिति को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC), लखीसराय/जिला आई0टी0 प्रबंधक, लखीसराय को सूचनार्थ एवं निदेश है कि जिला के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपि :– उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय।

Scanned by CamScanner